# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती पदमा देवी, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2022
जीसीएमएस नं. :– 2022/16

प्रार्थी :–
करणसिंह पुत्र तुलछाराम
जाति माली निवासी चूना भटिया
बेरा, पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़
शहर

बनाम

अप्रार्थी :–
तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

दर्ज तारीख :– 20.01.2022

## निर्णय

दिनांक : 07.09.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 2328/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नं. 2327 रकबा 0.6229 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाडा आया हुआ है। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 संलग्न पेश है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नं. 2328/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर मे प्रार्थी का 1/1188 वां हिस्सा है तथा ख.नं. 2327 रकबा 0.6229 हैक्टेयर मे प्रार्थी का 1/264 वां हिस्सा है। माफिक हक हिस्सानुसार ही प्रार्थी अपनी जमीन व बेरा का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड एवं शिक्षण दस्तावेज मे करणसिंह पुत्र तुलछाराम दर्ज है लेकिन परिवार मे बोलचाल भाषा मे प्रार्थी को करनाराम नाम से जाना पुकारा जाता था इसलिए राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम सहवन से त्रुटिवश करनाराम दर्ज कर दिया जबकि सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम करणसिंह दर्ज है। प्रार्थी ने हाल ही मे हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपने नाम दर्ज भूमि की जमाबन्दी नकल मांगी इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड मे करणसिंह के बजाए सहवन से त्रुटिवंश करनाराम दर्ज हो गया इस पर प्रार्थी ने जमाबन्दी नकल दिनांक 10.01.2022 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई इस पर प्रार्थी ने अपने नाम राजस्व रेकर्ड मे करनाराम के स्थान पर करणसिंह दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय से ही करवाने बाबत् कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड रहा है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड एवं शिक्षण दस्तावेज आदि सभी दस्तावेज मे

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रार्थी का नाम करणसिंह दर्ज है राजस्व रेकर्ड मे सेवन से त्रुटिवंश करणसिंह के बजाए करनाराम दर्ज हो गया इसलिए प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त करना चाहता है तथा उक्त वर्णित खसरान की भूमि मे प्रार्थी का नाम करनाराम के स्थान पर दुरूस्त फरमाया जाकर करणसिंह इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर के जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता सं. 642 खसरा नम्बर 2328/1 रकबा 0.0405 हैक्टयेर किस्म गै.मु.गेरा एवं खाता सं. 270 खसरा नम्बर 2327 रकबा 0.6229 हैक्टयेर किस्म गै.मु.बाड़ा में प्रार्थी का नाम करनाराम पुत्र तुलछाराम जाति माली दर्ज हैं। जबकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार इनका सही नाम करणसिंह पुत्र तुलछाराम जाति माली हैं। जानकार लोगो से पुछताछ करने पर पता चला है कि करनाराम व करणसिंह एक ही व्यक्ति है। अतः ग्राम पीपाड़ शहर के खाता सं. 642 व 270 में करनाराम पुत्र तुलछाराम के स्थान पर करणसिंह पुत्र तुलछाराम जाति सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना उचित व प्रस्तावित है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2328/1 रकबा 0.0405 हैक्टयेर, खसरा नम्बर 2327 रकबा 0.6229 हैक्टयेर में दर्ज नाम करनाराम पिता तुलछाराम के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर करणसिंह पुत्र तुलछाराम कराने का निवेदन किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, संगत विधिक प्रावधानों पर गौर कर बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राशन कार्ड बारकोड सं. 114302200645, मतदाता फोटो पहचान पत्र RJ/24/187/192470, मूल निवास प्रमाण पत्र 19215642712, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 19215644787, विद्युत बिल K No. 320314029473, एवं कार्यालय तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब कमांक न्याया/2022/2031 दिनांक 12.04.2022 से यह पुष्टि होती है कि प्रार्थी करणसिंह पुत्र तुलछाराम का नाम सहवन से करनाराम पुत्र तुलछाराम दर्ज गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी सम्वत् 2075 – 2078 ग्राम पीपाड़ शहर पटवारी हल्का पीपाड़ शहर, भू.अ.नि. पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2328/1 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नम्बर 2327 रकबा 0.6229 हैक्टयेर किस्म गै.मु.बाड़ा में करनाराम पुत्र तुलछाराम जाता है। जो खसरा नम्बर 2328/1 में सहखातेदार 1/1188 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 2327 में सहखातेदार 1/264 हिस्से पर अभिलिखित काश्तकार हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 2328/1 एवं 2327 ग्राम पीपाड़ शहर के राजस्व रिकार्ड में करनाराम पुत्र तुलछाराम उक्तानुसार स्थान पर करणसिंह पुत्र तुलछाराम अमलदरामद करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम हो, बाद तकलीम जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(पदमा देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को सर–ए–इजलास में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(पदमा देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर